नीलाम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, मेरठ के ग्रामीण क्षेत्र में संचालित पशु पैंठ सलाहपुर, इन्चौली, मेदपुर व हर्रा के लदान/ढुलान का ठेका 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार नियत दिनांक व समय पर कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ के सभागार में छोडा जायेगा। इच्छुक व्यक्ति नियत समय व दिनांक को बोली में भाग लेने का कष्ट करे।

क0सं0	पशु पैंठ का नाम	जमानत राशि	नीलाम की तिथि	समय
1	सलाहपुर	50,000	03.02.2014	पूर्वान्ह 11.00 बजे
2	इन्चौली	50,000	03.02.2014	पूर्वान्ह 11.00 बजे
3	मेदपुर	10,000	03.02.2014	पूर्वान्ह 11.00 बजे
4	हर्रा	10,000	03.02.2014	पूर्वान्ह 11.00 बजे

नीलाम में भाग लेने वाले व्यक्ति को उक्त नियत जमानत राशि नीलाम में भाग लेने से पूर्व जमा करनी होगी। तद्उपरान्त ही बोली मे भाग लिया जा सकता है। नीलाम की शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखी जा सकती है। उच्चतम् बोली दाता को अपनी बोली की समस्त धनराशि बोली के तुरन्त बाद जमां करना होगा, यदि धनराशि जमां नही की जाती है तो जमानत राशि जब्त कर नीलाम समिति यदि द्वितीय बोलीदाता की बोली को उचित समझती है तो द्वितीय बोलीदाता का धन जमां कराने पर विचार कर सकती है। नीलाम प्रक्रिया में शासनादेश सं0 5748/53–2–200/190– जी/2006 दिनांक 17–11–2006 के अनुसार बोली में भाग लेने वाले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उक्त शासनादेश का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। यदि नीलाम उक्त तिथि पर नही हो पाता है तो आगामी प्रत्येक सोमवार को उक्त नियत समय व स्थान पर उक्तानुसार किया जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ।

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ।

पंत्राक– 2206/जि0प0 दिंनाक– 31-1-14

प्रतिलिपिः– 1. मा0 अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत, मेरठ की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी मेरठ की सेवा में सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मेरठ को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना को जनपद की वैबसाईट meerut.nic.in पर डलवाने का कष्ट करें।
4. वित्तीय परामर्शदाता/ कार्य अधिकारी/ कर अधिकारी जिला पंचायत, मेरठ को नीलाम सम्पन्न कराने हेतू सूचनार्थ।
5. सम्पादक अमर उजाला मेरठ व दैनिक प्रभात को इस आशय के साथ कि उक्त नीलाम सूचना को अपने–2 समाचार पत्र के आंगामी अंक में कम से कम स्थान में सामान्य छपाई में शासकीय दरों पर जिसका बिल अधिकतम 5000/– रू0 के अन्तर्गत प्रकाशित कर बिल भुगतान की दो–2 प्रतियां में इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करे।
6. पूर्व ठेकेदारो को बोली में भाग लेने हेतु सूचनार्थ।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मेरठ।

DIO. NIC
पू0 आवश्यक कार्यवाही करें

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
मेरठ 31/1/14

आज दिनांक 5-2-14 को NIC में दिया गया